274

कार्यालय अखण्ड अधिकारी, जैसलमेर (राज.)

क्रमांक/राजस्व/99/ 65 दिनांक:- 7/7/99

-:: आदेश ::-

राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-8) विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (1)(7) (रेवेन्यु/8/73 दिनांक 8.5.81 के द्वारा जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय मरू उद्यान की स्थापना हेतु अधिसूचना वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35(1) के तहत जारी कि गई है। उक्त अधिसूचना के अनुसरण में उक्त अधिनियम की धारा 21 के तहत जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा उनके कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक राजस्व/ 81/3105 दिनांक 8.9.81 के द्वारा विज्ञप्ति जारी कि गई थी। इस विज्ञप्ति में दर्शित सीमाओं में घोषित राष्ट्रीय मरू उद्यान (डी०एन०पी०) में स्थित भूमि के सम्बन्ध में यदि कोई व्यक्ति अपना अधिकार रखता है तो वह अपनी लिखित उजरदारी निर्धारित प्रपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि के भितर जिला कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त विज्ञप्ति का प्रचार प्रसार जिला कार्यालय द्वारा करवाया गया। उक्त विज्ञप्ति में अधिसूचित/घोषित क्षेत्र में तहसील जैसलमेर एवं फतेहगढ के राजस्व ग्राम क्रमशः 28 व 6 कुल 34 ग्राम आये हुवे है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 1962 वर्ग किलो मीटर है। धारा 19 में वर्णित अधिकारो के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र संख्या 9 में दावे आमंत्रित किये गये जिसके सन्दर्भ में 399 क्लेम उक्त क्षेत्र के ग्रामवासीयों द्वारा प्रस्तुत किये गये राष्ट्रीय मरू उद्यान क्षेत्र तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में दिये गये आश्वासन के मुताबिक 1/10 किया जाकर लगभग 300 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में उद्यान की स्थापना करने का निर्णय किया गया। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में कुल 9 राजस्व ग्राम आते है। जिसमें से ग्राम निम्बा, गांगा, बीदा, रेहलुवा का पार एवं मतुओं की बस्ती का सम्पुर्ण क्षेत्र, ग्राम कनोई का अर्ध क्षेत्र एवं ग्राम सगरो की बस्ती तथा जामड़ा का आंशिक क्षेत्र आया हुआ है। अधिनियम 1972 के तहत उद्यान क्षेत्र में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही ओचित है।

राज्य सरकार के वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ/11(5) फोरेस्ट 97 दिनांक 10.2.98 के द्वारा निम्न प्राधिकारी को राजस्थान वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 19 से 25 तक की शक्तियां एवं कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया है। राष्ट्रीय मरू उद्यान क्षेत्र में आने वाले गांव व ढाणीयों में स्थित खातेदार/गैरखातेदारी/आबादी भूमि/गोचर भूमि एवं सार्वजनिक स्थानों का विवरण प्राप्त हुआ जो परिशिष्ट " ए" पर है।

इस कार्यालय के मरू अभ्यारण के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक/राज/98/991 दिनांक 19.8.98 द्वारा अधिकारो का विनिश्चय /निर्धारण निम्न प्रकार से तय किया गयाथा।

 275

[illegible] राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 [illegible] काश्तकारों को प्रदत्त अधिकारों/सुखाचारों का उपयोग उनके द्वारा [illegible] [illegible] किया जाता रहेगा।

[illegible] वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 20 के तहत उक्त क्षेत्र में स्थित भूमि [illegible] पर नये अधिकारों के उत्पन्न होने पर रोक है। किन्तु इस मामले में [illegible] उल्लेखित किया जा चुका है। इस क्षेत्र के निवासीयान की आजीविका [illegible] कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है तथा इस क्षेत्र में गैरखातेदारों का [illegible] भूमि स्थित है एवं उक्त भूमि काश्तकारों को कृषि प्रयोजनार्थ [illegible] 10 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है व खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो चुके है। तथा उक्त अधिकारों के अभाव [illegible] आदि की सुविधाओं प्राप्त करने से वंचित है ऐसी स्थिति में इस [illegible] हो गैरखातेदारों को उनके द्वारा आवंटन आदेश की शर्तों का पालन [illegible] गया है एवं वे खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये है। [illegible] खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के स्तर से उचित निर्णय [illegible] जाना प्रस्तावित है।

[illegible] कृषि भूमि पर ग्रामवासीयों तथा पंचायतों को प्राप्त सार्वजनिक तथा [illegible] अधिकारों सुखाचारों (Easementary Rights) का उपयोग/उपभोग [illegible], विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

[illegible] अभयारण्य की उद्घोषणा के पूर्व बनाये गये एवं वर्तमान में स्थित सार्वजनिक रास्तों, सार्वजनिक भूमियों तथा गोचर, ओरण आदि जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज है का उपयोग करने का ग्रामवासीयों को स्वतन्त्र अधिकार होगा।

[illegible] उक्त क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थलों पर पूजा/अर्चना/इबादत करने का उक्त क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामवासीयों तथा बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों को पूर्ण अधिकार यथावत रहेगा।

[illegible] उक्त क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक कुओं, तालाबों, नाड़ी, नदीयाँ व पार में ग्रामवासीयों को पानी पीने एवं पशुओं का पानी पिलाने के यथावत रहेगा।

[illegible] उक्त क्षेत्र में कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रुपान्तरण करवाने का ग्रामवासीयों को पूर्ण अधिकार होगा। किन्तु आवासीय भिन्न प्रयोजनार्थ रुपान्तरण करवाने से पूर्व वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

[illegible] उक्त क्षेत्र में आई हुई राजकिय भूमियों के व्यावसायिक, वाणिज्यक एवं औद्योगिक प्रकृति के कार्य हेतु आवंटन से पूर्व वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

[illegible] उक्त क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामवासीयों को अपने निजी उपयोग हेतु इस क्षेत्र में उपलब्ध खनिज सम्पदा का उपभोग खनिज विभाग की स्वीकृति से करने का पूर्ण अधिकार होगा। किन्तु खनन प्रक्रिया में बारुद/विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया जावेगा। एवं नहीं इस प्रकार का कोई कार्य किया जावेगा जिसके [illegible] अभयारण्य की स्थापना के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

[illegible] उक्त क्षेत्र के निवासीयों को अभयारण्य क्षेत्र में अपनी मवेशी को रखने एवं उनके [illegible] चराई कराने के पूर्ण अधिकार यथावत रहेंगे।

[illegible] (ओरण) क्षेत्र में [illegible] अभियन्ता एवं भू विज्ञान विभाग जैसलमेर के [illegible] अभयारण्य क्षेत्र में [illegible] के विपुल भण्डार है एवं उक्त खनिज को [illegible] के अनुसार [illegible] में है किन्तु उक्त क्षेत्र में अभयारण्य एवं नेशनल पार्क [illegible] जाना [illegible] है जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर [illegible] क्षेत्र में [illegible] जाना उचित होगा। [illegible]

...3..

अभयारण्य क्षेत्र में आने [illegible] भूमि का विवरण एवं [illegible] विवरण (आँकड़ें हे० में) [illegible]

क्र0	नाम ग्राम	जनसंख्या (1991)	पशु संख्या (अनुमानित)	कुल भूमि	खातेदारी भूमि	गैरखातेदारी भूमि	आबादी भूमि	सिवायचक भूमि	गोचर भूमि	अन्य भूमि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	[illegible]रिया	176	1716	16766.09	—	796.06	60.15	—	779.06	15140.02
2	केहरी?	1094	7317	27669.15	214.08	811.11	224.04	—	774.00	25645.12
3	[illegible]	841	7818	12070.08	97.06	797.02	6.06	—	170.13	10999.01
4	[illegible]	559	8?84	33702.17	2470.12	4732.04	39.11	—	1251.19	23178.11
5	[illegible]	510	4695	61519.04	1087.?	210.00	60.05	—	1795.05	[illegible]66.07
6	हरसिंहपुरा?	635	16336	70048.?9	19495.18	?3.05	145.06	347.14	3022.14	46?3?.01
7	[illegible]	214	57??	30652.?1	2500.02	—	13.06	—	1562.07	?6576.16
8	[illegible]	23	[illegible]	66634.17	3869.15	—	67.02	—	979.05	819?8.15
9	[illegible]	466	9?07	39476.05	3523.04	—	116.05	—	2343.15	33493.01
10	[illegible]	1092	3604	32015.14	4418.09	—	518.12	?.12	4116.12	[illegible].09
11	पीपर?	819	5799	55721.19	6629.02	—	210.02	—	3501.00	45[illegible]
12	[illegible]	271	6317	54360.[illegible]	?053.10	—	100.01	137.80	1086.13	45482.18
13	[illegible]	232	2305	8375.[illegible]	?45.01	—	80.02	—	762.19	5687.09
14	[illegible]	77	3147	374?0.00	3950.07	—	115.07	200.00	—	33114.?6
15	[illegible]	7	2500	117?.03	3505.12	—	63.17	—	400.15	[illegible]4.17
16	[illegible]	405	3038	9966.14	1030.1?	—	—	—	813.17	?072.08
17	[illegible]	369	2065	23?3.07	3359.04	606.05	247.18	—	1216.03	20433.17
18	[illegible]	2025	12072	2068.16	—	1857.?0	50.00	761.06	—	—
19	[illegible]	778	4?3?	[illegible].02	75.00	67.00	—	2471.02	—	—
20	[illegible]	1125	1500	[illegible]2?.00	1004.00	305.00	—	485.00	—	5800.0?
21	[illegible]	732	3350	3?[illegible].00	702.00	186.00	—	—	465.00	2363.00
22	[illegible]	145	150	15[illegible].00	1355.00	64.00	—	378.00	—	1?35.00
23	[illegible]	203	1000	37040.00	1681.00	451.00	39.00	—	469.00	334?.00
[illegible]	[illegible]	1371	1457	8003.13	504.16	256.?5	—	4702.09	2422.14	36.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 25	निम्बा	631	4729	32768.13	3700.13	2336.07	64.03	1.10	1868.00	24798.[illegible]
26	मेहदव का पार	63	556	16896.10	217.15	580.19	31.09	—	443.08	15622.19
27	जाड़ा	186	2437	25237.17	479.10	114.16	—	35[illegible]3.10	515.02	[illegible]
28	पीदा	365	580	43994.16	3218.15	622.17	133.15	—	1543.00	38475.
29	तनो	1844	17882	155285.00	13571.00	2234.00	315.00	371.00	5129.00	133[illegible]55.[illegible]
30	फुलिया	461	12032	50195.00	5070.00	1201.00	176.00	361.00	1523.00	41664.00
31	तेलराडा	423	6526	42777.00	3411.00	—	113.00	—	2157.00	37096.[illegible]
32	आंटिया	84	1124	21966.00	3622.00	—	—	—	326.00	190[illegible]
33	सिहार	851	10370	9188.00	6107.00	—	102.00	—	2205.00	774.00
34	सनावड़ा	679	6500	13231.00	2071.05	—	422.05	—	212.05	1052.[illegible]
	योग	19107	191176	1104550.02	112991.07	19324.16	3505.11	14034.03	43866.07	910623.02

कृषि खण्ड अधि[illegible]
जैसलमेर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	तम	1125	1500	7726.00	1084.00	305.00	-	425.00	-	5852.00	1833-80/-
2.	तगरो की बस्ती	732	3500	3676.00	702.00	186.00	-	-	465.00	2363.00	1172160/-
3.	मतुओ की बस्ती	145	150	15672.00	1355.00	64.00	-	370.00	-	13255.00	1899480/-
4.	झांगा	2?6	1200	37048.00	1681.00	1451.00	39.00	-	469.00	33408.00	4134240/-
5.	कनोई	1371	1653	8003.13	504.16	256.15	-	4792.09	2422.14	36.19	1005247/-
	निम्बा	631	4729	32768.13	3700.13	2336.07	64.03	1.10	1368.00	24798.00	8348065/-
7.	मेहुबब का पार	63	556	16896.10	217.15	580.19	31.09	-	443.08	15622.1?	1102721/-
8.	जामडा	186	2437	25237.17	479.10	114.16	-	533.10	515.02	20594.19	820.79/-
9.	बींदा	365	580	43994.16	3218.15	622.17	133.15	-	1543.00	38475.14	[illegible]11163/-
	योग	4914	16305	191062.14	12943.09	5937.14	269.07	180.09	7726.0-	5006.11	2,56,27,035/-

उपखण्ड अधिकारी,
जैसलमेर